UNIVERSITY SPORTS BOARD
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY, BIKANER

भारतीय विश्वविद्यालय संघ अनुसार
अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु नियम

(अ) योग्यता नियम :–

1. पूर्णकालिन नियमित/प्रामाणिक छात्र/छात्रा जिन्होंने स्कूल स्तर की 10+2 परीक्षा के पश्चात् विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोतर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, वही विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा अधिस्वीकृत अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है।
   - खुले विश्वविद्यालयों के नियमित/प्रामाणिक छात्र/छात्रा भी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ द्वारा स्वीकृत किसी भी अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकता है बशर्त वे अन्य योग्यता नियमों के अनुसार पूर्ण योग्यता रखते हो।
   - शोध (पीएच.डी.), एम.फिल. के नियमित छात्र अन्य योग्यता होने पर प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य होंगे।
2. अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रत्येक पूर्णकालिन नियमित/प्रामाणिक छात्र/छात्रा को निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा–
   - विश्वविद्यालय में स्नातक/स्नातकोतर/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पात्रता के योग्य हुए छात्र/छात्रा को **9 वर्ष** से अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ हो। (10+2 उर्तीण वर्ष से)
   - वही छात्र/छात्रा प्रतियोगिता में भाग ले सकता है जो सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की प्रथम जुलाई को **28 वर्ष** से कम आयु के हो।
   - छात्र/छात्रा अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम की सामान्य पूर्णावधि से एक वर्ष अधिक अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय संकाय का अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर सकता है।(स्नातक में अधिकतम **5 वर्ष** एवं स्नातकोतर में **4 वर्ष**)
3. एक शैक्षिक सत्र के दौरान प्रतिभागी छात्र/छात्रा एक ही महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
4. विश्वविद्यालय में अस्थायी/अंशकालीन/पूरक छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेशित खिलाड़ी विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओ में भाग लेने के योग्य नही है।
5. एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण होने पर प्रतिभागी खिलाड़ी को विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व के योग्य तभी माना जायेगा जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय प्रवेश की अन्तिम या पूर्ण या वैध पुष्टि कर देगा।
6. यदि 10+2 के बाद स्नातक या स्नतकोतर पाठ्यकम में एक कक्षा में **अन्तराल दो वर्ष** से अधिक का है तो वह खिलाड़ी अन्तर महाविद्यालय व अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग नही ले सकेगा।
7. **10+2/स्नातक/स्नातकोतर उतीर्ण करने पर अगली कक्षा में वह दो वर्ष तक ही खेल सकेगा और उस कक्षा में पास होने के पश्चात् ही वह तीसरे वर्ष अगली कक्षा में खेल सकेगा। 10+2 उतीर्ण करने के वर्ष से ही उसके कुल अवसर/ वर्षो की गणना प्रारम्भ हो जायेगी ।**
8. छात्र का पिछले किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से खेले हुये अवसरो को भी आवश्यक रूप से वर्तमान खेलने के अवसरो के साथ गिना जायेगा। जिससे की गलत दावा प्रस्तुत नही किया जावे। षैक्षणिक योग्यता भी तभी से स्वीकार होगी जब खिलाड़ी ने पूर्व में अन्तर महाविद्यालय या अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में खेलना प्रारम्भ किया था।
9. 10वीं, 10+2, स्नातक व स्नातकोतर की अंकतालिकाएं संस्था प्रधान से सत्यापित होना आवश्यक है।

(ब) व्याख्या :–

1. यदि नियमित छात्र एवं छात्रा एक पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात पुनः उसी या नये पाठ्यक्रम में शामिल होता है तो प्रतिभागी के सभी अवसर अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार ही होंगे।